न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55/2016 प्रा.पत्र/2016	09.08.2016	30.04.2026
जीसीएमएस नं0—567/2016		

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री सुन्दर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अनिल प्रोविजन स्टोर महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज.। निवासी वार्ड नं. 9 महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज.।
2—मैसर्स अनिल प्रोविजन स्टोर महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज.।
3— श्री रामबाबू परतानी प्रोपरायटर मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.। निवासी प्लॉट नं.0 68, ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक।
4—मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.।
5—श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज. निवासी मेन मण्डी भरतपुर राज०।
6. श्री केदारनाथ अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज० निवासी मेन मण्डी भरतपुर राज०।
7. श्री सतीश कुमार गोयल डायरेक्टर मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज. निवासी 91, बुर्रटेला स्ट्रीट, तृतीय मंजिल, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।
8. श्री बाबू लाल डाटा डायरेक्टर मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज. निवासी डी—47, लक्ष्मण मार्ग हनुमाननगर, वैशाली नगर जयपुर राज० ।
9. श्री दीपक डाटा डायरेक्टर मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज. निवासी डी—47, लक्ष्मण मार्ग हनुमाननगर, वैशालीनगर जयपुर राज.।
10. मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड तह. बस्सी जिला जयपुर राज.।

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण अनु.।

:—निर्णय—: दिनांक 30/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2016 को समय 04:48 पी.एम. पर मैसर्स अनिल प्रोविजन स्टोर महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री सुन्दर लाल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खादय पदार्थ का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री सुन्दर लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री सुन्दर लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री भागचन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका, लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack)** के 455–455 ग्राम के 20 प्लास्टिक बोतल सील पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री भागचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री भागचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम के 4 प्लास्टिक बोतल सील पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack)** 455–455 ग्राम के 20 प्लास्टिक बोतल सील पैक में से एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1270 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1270 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

नमूना लेते समय मौके पर श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री सुन्दर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अनिल प्रोविजन स्टोर महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज. ने बतौर वारन्टी मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 21, बसंत बहार कॉलोनी ब्रजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश किया। मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मानसर खेडी बेनाडा रोड. तह. बस्सी जिला जयपुर राज० निवासी मेन मण्डी भरतपुर का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/16/1155 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/25/एक्ट/2016/75 दिनांक 01.02.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack) मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित। शेष अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा 5 ता 10 की ओर से दिनांक 01.08.2025 को अभिभाषक श्री राजेश गुर्जर चतुर्थ एड. ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतानामा पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु अभिभाषक को कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी स्वयं एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी अशोका लाईट मूल पैक (Mustard Oil Kacchi Ghaani Ahoka Lite Origional pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 ता 10 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हों। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0